

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दाँतारामगढ़ जिला-सीकर

क्रमांक/कैम्प/2021 / 584

दिनांक 22.11.21

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार/ नायब तहसीलदार^{दाँतारामगढ़} के आधार पर^{शरद} लालपुर की जमाबंदी
लेख 206-79 में लगा लेखा 202, 207, 208, 37 में लखतदार
" रामलाल पुत्र नारायण जाति कुम्हार " के लखत पर " रामलाल पुत्र
नारायण जाति कुम्हार " दर्ज करने की लखत उदान की
जाती है किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो रजिस्ट्रार
में अमल दरामद करें।

तहसीलदार दाँतारामगढ़ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद कर पालना से
न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन गांठों के संग अभियान -2021

राजखण्ड अभिकासीधीणा
उपखण्ड अधिदाँतारामगढ़ जिला सीकर